



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 23 फरवरी, 1982

फाल्गुन 4, 1903 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 703/सप्रह-वि०-1-112-1981

लखनऊ, 23 फरवरी, 1982

अधिसूचना

विविध]

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विक्ली-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 पर दिनांक 21 फरवरी, 1982 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विक्ली-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1982)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विक्ली-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यों-बाहियों को विधिमाम्य करने और उससे आनुषंगिक और सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के ऐंकीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विक्ली-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) धारा 12, 13, 14, 16, 20, 21 और 23 तीन अगस्त, 1981 से, धारा 2 के खण्ड (क) और (ग), धारा 3, 4, 6, 7 और 8, धारा 11 का खण्ड (ग), और धारा

संश्लिप्त नाम
और प्रारम्भ

17, 18 [सिवाय उसके द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची की मद संख्या 63 के समक्ष प्रविष्टि में बढ़ाये गये शब्दों "और शरबत (सिरप), स्क्वश, जैम और जैली" के, जो तुरन्त प्रवृत्त होंगे] और 19 सात सितम्बर, 1981 से, धारा 2 का खण्ड (ख), धारा 10 के खण्ड (1) का उपखण्ड (क) और खंड (2) और (3), धारा 11 का खण्ड (क) और धारा 15 एक अक्टूबर, 1981 से प्रवृत्त समझी जायगी, और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट
संख्या 15 सन्
1948 की धारा
3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आने मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में,—
(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 3—कख, धारा 3—कक" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(2) कोई व्यापारी, धारा 18 में की गई अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन कर का देनदार न होगा, यदि कर निर्धारण के दौरान उसको—

(क) धारा 3—ब के अधीन विज्ञापित माल के क्रय-धन का,

(ख) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर देय क्रय-धन का,

(ग) धारा 3—ब के अधीन कर देय बिक्री के विक्रय-धन का,

(घ) सभी माल की (धारा 3—ब के अधीन विज्ञापित माल को छोड़ कर) बिक्री के विक्रय धन का, चाहे शाखा, डिपो या अभिकर्ता के माध्यम से राज्य के भीतर, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या राज्य के बाहर, की जाय,

कुल योग निर्माता की स्थिति में पचास हजार रुपये और अन्य व्यापारियों की स्थिति में एक लाख रुपये से, या ऐसी अधिक धनराशि से जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा, या तो किसी माल के विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में, तदर्थ निर्दिष्ट करे, कम हो।"; और

(ग) उपधारा (3) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक "या उपधारा (2-क)" निकाल दिये जायेंगे।

3—मूल अधिनियम की धारा 3—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"3—क—कर की दर (1)—धारा 3—ब में यथा-उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी द्वारा देय कर—

(क) "घोषित माल" के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर, ऐसे एकल स्थल पर और केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में तत्समय विनिर्दिष्ट अधिकतमदर से अनधिक ऐसी दर पर, जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा;

(ख) किसी होटल या जलपान-गृह या उसके भाग में कैबरे या मंच-प्रदर्शन (फ्लोर शो) की व्यवस्था के साथ उपयोग के लिए प्रस्तुत किसी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ के संबंध में विक्रय-धन पर, बालीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा;

(ग) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मेथाइल अल्कोहल सम्मिलित है, किन्तु देशी शराब सम्मिलित नहीं है, और जिसमें संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल भी नहीं है, के विक्रय-धन पर निर्माता या आयातकर्ता यथा-परिभाषित अल्कोहल भी नहीं है, के विक्रय-धन पर निम्नलिखित अधिनियम, 1939 में धारा बिक्री के स्थल पर, बीस प्रतिशत की दर पर या छव्वीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा;

(घ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में विक्रय-धन पर, ऐसे स्थल पर और पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करे, लगाया जायगा और उक्त अनुसूची की किसी प्रविष्टि में समाविष्ट भिन्न-भिन्न माल के संबंध में भिन्न-भिन्न स्थलों और भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, अनुसूची में से किसी माल से संबंधित कोई प्रविष्टि निकाल सकती है, और इस प्रकार निकाली गयी किसी प्रविष्टि को इसी तरह पूर्ववत् रख सकती है, और किसी प्रविष्टि को निकालने या पूर्ववत् रखने की किसी ऐसी विज्ञप्ति के जारी किये जाने पर उक्त अनुसूची, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदनुसार संशोधित समझी जायगी।

(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर षाट प्रतिशत की दर से लगाया जायगा;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, समय-समय पर, विज्ञप्ति द्वारा, किसी ऐसे माल के संबंध में, ऐसे दिनांक से, जिसे उस निमित्त विज्ञापित किया जाय, विक्रय-धन पर कर की दर या कर के स्थल में इस प्रकार परिष्कार कर सकती है कि दर आठ प्रतिशत से अधिक न हो।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखी जायगी और, जब तक कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, प्रभावी होगी, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध विज्ञप्ति के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या शास्ति का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना या वसूल किया जाना उक्त परिष्कार या अभिशून्यन के अधीन होगा।”

4—मूल अधिनियम की धारा 3—कख और 3—कक निकाल दी जायेंगी।

धारा 3—कख
और 3—कक का
निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 3—ख में,—

(क) जहां-जहां भी शब्द “व्यापारी” आया हो, उसके स्थान पर शब्द “व्यक्ति”, और

(ख) शब्द “अन्य व्यापारी से किये गये क्रय या उसको किये गये विक्रय” के स्थान पर शब्द “अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किये गये क्रय या विक्रय”

रख दिये जायेंगे और पहली अप्रैल, 1974 को रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 3—ख का
संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 3—घ में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

“(क) अफीम के प्रथम क्रय के संबंध में ऐसी दर से जो छब्बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;”

(दो) स्पष्टीकरण 1 में शब्द, “खण्ड (ख) के अधीन” के स्थान पर शब्द “इस उपधारा के अधीन” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द “अथवा, यथास्थिति, प्रथम क्रयकर्ता” निकाल दिये जायेंगे; और

(ग) उपधारा (7) में, खण्ड (क) में, शब्द “खण्ड (ख) के” निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3—घ का
संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 3—च निकाल दी जायगी।

धारा 3—च का
निकाला जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 4—ख में, उपधारा (1) में,—

(क) अंक और अक्षर “3—कक” निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द “यथास्थिति, क्रय या प्रथम क्रय के क्रयधन” के स्थान पर शब्द “प्रथम क्रय के क्रयधन” रख दिये जायेंगे।

धारा 4—ख का
संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1—ख) में, शब्द “प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ऐसे निक्षेप पर दो प्रतिशत” के स्थान पर शब्द “ऐसे निक्षेप पर दो प्रतिशत प्रतिमास” रख दिये जायेंगे और 4 दिसम्बर, 1979 को रखे गये समझे जायेंगे; और

(ख) उपधारा (1—घ) में, शब्द “वेचा गया” के स्थान पर शब्द “विक्रय या क्रय किया गया” रख दिये जायेंगे और जहां-जहां भी शब्द “विक्रय” आया हो, उसके पश्चात् शब्द “या क्रय” वहा दिये जायेंगे, और पहली नवम्बर, 1978 को रखे और बढ़ाए गये समझे जायेंगे।

धारा 7 का
संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 8—क में,—

(1) उपधारा (1) में, खण्ड (ग) और खण्ड (घ) में,—

(क) शब्द और अंक “30,000 रु०” के स्थान पर शब्द “निर्माता की स्थिति में पचास हजार रुपये और अन्य व्यापारियों की स्थिति में एक लाख रुपये” रख दिये जायेंगे; और

धारा 8—क का
संशोधन

(ख) शब्द और अंक "यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (2) के अ धारा 3-ब की उपधारा (3-क)", के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 3 की उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे और पहली नवम्बर, 1978 को रखे गये समझे जायेंगे।

(2) उपधारा (1-ख) में, शब्द "यदि व्यापारी व्यापार करना बन्द कर दे" के स्थान पर शब्द "यदि व्यापारी व्यापार करना बन्द कर दे या उसका रजिस्ट्रीकरण कराने का दायित्व न रह जाय" रख दिये जायेंगे।

(3) उपधारा (4) में, खण्ड (क) में, जहां-जहां भी शब्द "पचास हजार रुपये" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "निर्माताओं की स्थिति में पचास हजार रुपये और अन्य व्यापारियों की स्थिति में एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 8-ख का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 8-ख में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "तीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, शब्द और अंक "धारा 3-ब की उपधारा (3-क)" निकाल दिये जायेंगे और पहली नवम्बर, 1978 को निकाले गये समझे जायेंगे ; और

(ग) उपधारा (6) में, शब्द और अंक "या धारा 3-कक" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

12—उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1980 की धारा 12 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 द्वारा यथा-प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(1-क) यदि अधिकरण में खण्ड (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति न हो किन्तु एक या अधिक ऐसे व्यक्ति हों जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य हों या रहे हों तो उसे या उनमें से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा ;"

धारा 10-का का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 10-क में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(ख) धारा 13 या धारा 13-क की उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या धारा 28-क की उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही।"

धारा 13-ख का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 13-ख में, शब्द और अंक "धारा 28-क या धारा 28-ग" के स्थान पर शब्द और अंक "या धारा 28-क" रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, शब्द और अंक "50,000 रुपये" के स्थान पर शब्द "निर्माताओं की स्थिति में पचास हजार रुपये या अन्य व्यापारियों की स्थिति में एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 21 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और पहली नवम्बर, 1978 को रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्:—

"(2) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर-निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश ऐसे वर्ष के अन्त से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के लिये कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण 31 मार्च, 1982 तक किया जा सकता है।

(3) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिये उपधारा (1) के अधीन नोटिस उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तामील कर दी गई हो तो उसके अनुसरण में कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण का आदेश ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् छः मास के भीतर दिया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नोटिस 1 अप्रैल, 1978 के पूर्व तामील हुई हो तो ऐसा आदेश उपधारा (2) में निर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष के भीतर दिया जा सकता है।"

धारा 25 का संशोधन

—जायेंगे।

17—मूल अधिनियम की धारा 25 में, शब्द और अंक "या धारा 3-कक" निकाल दिये

18—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा,
अर्थात्—

प्रथम अनुसूची के
प्रतिस्थापन

“अनुसूची

क्रम-संख्या

माल का विवरण

1

2

- 1 सभी आयुध जिसके अन्तर्गत रायफल, रिवाल्वर, पिस्तौल, खुखरी, भाला, छुरा और तलवार और उनके लिये गोला-बारूद और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान भी है।
- 2 सभी प्रकार की दीवाल-घड़ियाँ, टाइमपीस और घड़ियाँ, विद्युत् टाइम-स्विच, मेकेनिकल टाइमर्स, टाइम-रिकार्डर और स्टापवाच और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान जिसके अन्तर्गत घड़ियों का फीता और चैन भी है।
- 3 विजली के सभी सामान, यंत्र, उपकरण, साधन और ऐसी सभी वस्तुयें जिनका प्रयोग विद्युत् शक्ति के बिना नहीं हो सकता है, जिसके अन्तर्गत पंखा, प्रतिदीप्त ट्यूब जिसके अन्तर्गत इनके स्टार्टर, चोक, फिक्सचर, फिटिंग्स और सहायक सामान भी हैं), (विजली के मत्तिका पात्र और पोर्सिनेन, विद्युत् शक्ति के जनन, वितरण और पारेषण के लिए अर्थात् विजली की सञ्जा, संयंत्र और उनके सहायक सामान, विद्युत् चालित मोटर और उसका पुर्जा, और समस्त अन्य सहायक सामान और संघटक भाग, चाहे उसे पूर्णतः या पुर्जा में बेचा जाता हो किन्तु इसके अन्तर्गत टार्च, टार्च सेल, ड्राईसेल बैट्री, टार्चबल्ब और फ्लामेंट लाइटिंग बल्ब नहीं हैं।
- 4 कांच के बने समस्त सामान और वर्तन, किन्तु इसके अन्तर्गत सादा कांच फलक चश्मों के शीशे, ह्यूरोकेन लालटेन की चिमनी, बोटल और शीशी, कांच की गूरियाँ, क्लिनिकल सिरिज, थर्मामीटर और कांच के बने वैज्ञानिक उपकरण और यंत्र नहीं हैं।
- 5 चेहरा, त्वचा, बाल, नाखून, नेत्र या भौंह की शोभा या देखभाल के लिये सभी प्रकार की सौन्दर्यवर्धक और प्रसाधन सामग्री किन्तु इसके अन्तर्गत साबुन, संप्टीरेजर ब्लेड, कंघी/कंघा, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और अन्य मंजन, टूथब्रश और कुमकुम नहीं हैं।
- 6 सभी प्रकार के स्नेहक।
- 7 पूर्णतः या मुख्यतः स्टेनलेस स्टील से निर्मित वस्तुयें और वर्तन, सिवाय मत्स्योपकरण के।
- 8 सभी प्रकार का पट्टा (वेल्डिंग)।
- 9 भांग, गांजा और चरस।
- 10 वाईसकिल, ड्राइसिकिल, टैंडेम साइकिल, रिक्शा और साइकिल कार्बिनेशन और उनके टायर, ट्यूब, संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान।
- 11 वाइनाक्यूलर, टेलिस्कोप, और आपेरा ग्लास और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान।
- 12 विट्यूमिन, रोड टार और उनके ऐसे सम्मिश्रण और उत्पाद जिनका प्रयोग सामान्यतया डामर बिछाने और जलसह बनाने के लिये किया जाता है।
- 13 ग्लास ग्लास।
- 14 ईंट, तापसह ईंट (फायर ब्रिक), ईंट के टुकड़े और ईंट की रोड़ी।
- 15 बुलडोजर, ट्रैन और तत्सदृश अन्य गाड़ियाँ या मशीन और (टायर और ट्यूब से भिन्न) उनके पुर्जे और सहायक सामान जो इस अनुसूची की किसी अन्य मद में सम्मिलित नहीं हैं।
- 16 बटन।
- 17 लपती (कार्ड बोर्ड) और गत्ता (स्ट्र बोर्ड)।
- 18 कास्टिक सोडा और सोडा ऐश।
- 19 एती कालीन और पाइल दरियों को छोड़कर सभी प्रकार के कालीन जिसके अन्तर्गत नमदा भी है।
- 20 सीमेंट जिसके अन्तर्गत सफेद सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट भी है, सांमेंट की चट्टें (सादी या नालीदार), सीमेंट की जालियाँ, और सीमेंट जलरोधन संयोग (वाटर-प्रूफिंग कम्पाउन्ड)।

1

2

- 21 सभी प्रकार का रसायन जिसके अन्तर्गत ईंधन की गैस भी है ।
- 22 सिगरेट केस और लाइटर ।
- 23 सिनेमाटोग्राफी—सज्जा जिसके अन्तर्गत कैमरा, प्रोजेक्टर और छबि आलेखन और पुन-रुपादन संबंधी सामान, लेंस, फिल्म और फिल्म स्ट्रिप और उनके साथ प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित सिनेमा काबन, संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान और सिनेमा स्लाइड और रा फिल्म भी हैं ।
- 24 काफी, कौकी, और चिकारी ।
- 25 कार्बनफ्लेक, ह्यूट फ्लेक और कार्टड्र ।
- 26 फाकारी, छुरी-कांटा, चीनी-मिट्टी के बर्तन, स्टोन ग्लेज्ड बर्तन और पॉसिलेन के बर्तन ।
- 27 रंजक और रंग और उनके मिश्रण जिसके अन्तर्गत इंगुर और सिंदूर, असली और नकली, दोनों ही हैं ।
- 28 आतिशबाजी जिसके अन्तर्गत आतिशबाजी के रूप में प्रयुक्त रंगीन दियासलाइयां और अन्य पदार्थ भी हैं ।
- 29 फाउन्टेन पेन, बालपाइंट पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और प्रोपेलिंग पेन्सिल और ऐसे पेन और पेन्सिल के साथ प्रयोग के लिये उनके सहायक भाग, पुर्जा और सहायक सामान और रिफिल ।
- 30 इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट फर्नीचर से भिन्न फर्नीचर ।
- 31 फर और फर से निर्मित वस्तुयें ।
- 32 गैस लैंटर्न, पेट्रोमैक्स और स्टोव और उनका पुर्जा, सहायक सामान और संघटक भाग
- 33 कांच की चूड़ियां ।
- 34 हार्डवोर्ड जिसके अन्तर्गत फाइवर शीट भी है, लेंडर बोर्ड, प्लाईवूड और सजावट के पत्तर ।
- 35 सभी प्रकार के अभिनाल (होजेज) —स्वर, प्लास्टिक या कैनवास के ।
- 36 हाथी दांत का सामान ।
- 37 मिट्टी का तेल ।
- 38 मशीन और मशीन के फालतू पुर्जे (जिसके अन्तर्गत वाटर पम्प और पंपिंग सेट भी है) जो ऐसी मशीन या उनके ऐसे फालतू पुर्जे नहीं हैं जिन पर इस अनुसूची की किसी अन्य मद के अधीन कर लगता हो ।
- 39 दियासलाई, खाली दियासलाई की डिब्बियां, दियासलाई की तोलियां और दियासलाई शल्कल ।
- 40 धातु की तिजोरी, रोकड़ पेटी (कैश बाक्स) और अलमारियां, सभी प्रकार के धातु के फर्नीचर चाहे उन्हें सज्जित या असज्जित रूप में बेचा जाय, धातु के फर्नीचर के भाग, फाइबर ग्लास, प्रबलित (री-इन्फोस्ड) प्लास्टिक या मूलतः किसी भी प्रकार के प्लास्टिक से बना फर्नीचर, गद्दीदार (अपहोल्स्टर्ड) फर्नीचर और फर्नीचर जिसके बनाने में लैमीनेटेड शीट का प्रयोग किया जाता हो ।
- 41 मिल के स्टोर और लोहे से बनी वस्तुएं जिसके अन्तर्गत लोहे या इस्पात के तार नहीं हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत लोहे या इस्पात का ऐसा माल है जो इस अनुसूची की किसी अन्य मद के अन्तर्गत न आता हो ।
- 42 शीरा ।
- 43 (1) मोटर गाड़ियां जिसके अन्तर्गत मोटरकार, मोटर टैक्सी कैब, मोटर साइकिल, मोटर साइकिल कम्बिनेशन, मोटर स्कूटर, मोपेड, मोटोरेट्स, मोटर आम्नीबस, मोटर बैन, मोटर लारी, मोटर ट्रक, जीप, स्टेशन वैगन और मोटर गाड़ियों के गैसी और मोटर गाड़ियों के गैसी पर बनाए गए या उन पर चढ़ाने के लिए ताल्पयित बाडी या टैंकर या मोटर कारवां भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत पहिया या ट्रेक्टर वाले ट्रैक्टर नहीं हैं ।
(2) उपर्युक्त उप प्रविष्टि (1) में विनिर्दिष्ट गाड़ियों के संघटक भाग, पुर्जे और सहायक सामान जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब, बैटरी और उक्त गाड़ियों के साथ प्रयोग किये जाने के लिए अनुकूलित ऐसे ट्रेलरों से भिन्न ट्रेलर भी हैं, जिनका प्रयोग प्रधानतया किन्हीं अन्य गाड़ियों के साथ किया जाता हो ।

44. समाचार-पत्र का कागज (न्यूज प्रिंट) ।
45. कार्यालय में उपयोग की मशीनें और उपकरण जिसके अन्तर्गत टेबुलेटिंग, कीलकुलेटिंग, डुप्लीकेटिंग, कॅश रजिस्टारिंग, चेक राइटिंग, एकाउन्टिंग, सांख्यिकी, इन्डेक्सिंग, कार्ड-पंचिंग, क्लिकिंग और एड्रेसिंग मशीन भी हैं, और टाइपराइटर, कम्प्यूटर (जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाइयां और परिधीय यंत्र भी हैं), टेलीप्रिंटर और सहायक मशीनें, ऐसी कार्यालय मशीनें और उपकरणों के संघटक भाग, पुर्जे और सहायक सामान भी हैं ।
46. सभी प्रकार के पेंट और वार्निश और पेंट और वार्निश करने में उपयोग में लायी जाने वाली सभी सामग्री जिसके अन्तर्गत डिस्टेम्पर, सीमेन्ट कलर या पेंट, पाउडर पेंट, स्टिफ पेस्ट पेंट, एनैमल और लिक्विड पेंट, चाहे प्रयोग के लिये तैयार हो या नहीं, फ्रैच पालिश, वनस्पति तारपीन (वेजीटेबल टर्पेन्टाइन), सभी प्रकार के पेंट रिमूवर और स्टेनर और सभी प्रकार के माध्यम, अवमिश्रक (डिल्यूटेंट्स) और द्रावक (थिनर्स), जिसके अन्तर्गत नेचुरल और सिन्थेटिक ड्राइंग और सेमी ड्राइंग तेल जैसे ड्यूल व्वायल्ड लिन्सीड आयल, ब्लोन् लिन्सीड आयल, स्टैंड आयल, सल्फराइज्ड लिन्सीड आयल, पेरिला आयल, ह्वेल आयल और टंग आयल भी हैं ।
47. पाम आयल जिसके अन्तर्गत पामोलीन भी हैं ।
48. मोती जिसके अन्तर्गत बनावटी मोती भी है, असली और तकली दोनों प्रकार के बहुमूल्य और साधारण जवाहरात ।
49. पेराम्बुलेटर जिसके अन्तर्गत बच्चों की कुर्सी-गाड़ी (पुश चैयर) भी हैं और उसका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान भी हैं ।
50. फोटोग्राफी का और अन्य कैमरा और उनके साथ प्रयोग के लिये अपेक्षित एन्लार्जर, लैसेज, कागज, फिल्म, प्लेट और कपड़ा और उसका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान ।
51. पिकनिक सेट ।
52. प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की चिलमची (बेसिन), प्लास्टिक की साबुनदानी, प्लास्टिक की तश्तरी और प्लास्टिक से बना अन्य बर्तन और डिब्बा (कन्टेनर) ।
53. ताश ।
54. सभी प्रकार की पालिश ।
55. विद्युत चालित प्रेशर कुकर से भिन्न प्रेशर कुकर ।
56. हथकरघे पर निर्मित से भिन्न शुद्ध रेशम का कपड़ा जिसके अन्तर्गत रेशमी धोती, साड़ी, और चादर भी हैं ।
57. प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन) और शीतताप नियंत्रक संयंत्र और सभी प्रकार के प्रशीतक (रेफ्रिजरेटिंग) उपकरण और सज्जा जिसके अन्तर्गत रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, मैकेनिकल वाटर कूलर, रूम कूलर, एयर कण्डीशनर, एयर कूलर, बाटल कूलर, वाक-इन-कूलर और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान और पोलिस्ट्रीन फोम सहित प्रशीतन सामग्री भी हैं ।
58. फोम रबड़, प्लास्टिक फोम या अन्य कृत्रिम फोम या रेशेवाला फोम या रबड़ युक्त कायद से बनी चादर (शीट), कुशन, तकिया, गद्दा और अन्य वस्तुएं ।
59. सैनिटरी का सामान और फिटिंग्स जिसमें पाइप और उनकी फिटिंग्स सम्मिलित नहीं हैं ।
60. इत्र और सुगन्धियां जिनके अन्तर्गत अगरबत्ती और धूपबत्ती नहीं हैं ।
61. सिलाई की मशीन और उनके पुर्जे और सहायक सामान ।
62. कपड़ा धोने के साबुन से भिन्न साबुन ।
63. सोडा वाटर, लेमनेड और अन्य मृदु पेय, और शरबत (सिरप), स्ववैज्ञ, जैम और जेली ।
64. धूप का चश्मा, चश्मा, फ्रेम, धूप का शीशा, चश्मे का शीशा और संलग्नक ।
65. चाय ।
66. तैलू पत्ता ।
67. खपरैल से भिन्न सभी प्रकार की टाइल्स ।
68. टार्च सेल और ड्राई सेल बैटरी ।
69. इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट से भिन्न टायर और ट्यूब ।

- 70 सभी प्रकार के बैकुण्ठम प्लास्क जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय या अन्य पदार्थ को गर्म या ठंडा रखने के लिये थर्मस, थर्मिक जग, आइस बकेट या बाक्स, कलश (अर्न) और अन्य घरेलू पात्र भी हैं, और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान ।
- 71 वनस्पति जिसके अन्तर्गत परिशोधित (रिफाइन्ड) नारियल का तेल, परिशोधित मूंगफली का तेल और मारगरीन भी हैं ।
- 72 किसी धातु या मिश्र धातु से बनाया गया बाट और माप ।
- 73 वेल्डिंग राड और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ।
- 74 (1) बतार प्रसारण और ग्रहण उपकरण, यंत्र और साधित्त जिसके अन्तर्गत ट्रांजिस्टर-रेडियो और अन्य रेडियो भी हैं, और उनके संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान जैसे ट्रांजिस्टर और बिजली के बाल्व ।
- (2) ध्वनि प्रसारण उपकरण, यंत्र और साधित्त जिसके अन्तर्गत टेलीफोन, इन्टरकॉम यंत्र और लाउडस्पीकर, श्रव्य, दृश्य और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के साथ प्रयुक्त किये जाने वाले समस्त एम्प्लीफाइंग उपकरण भी हैं किन्तु इसके अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक और प्रसारण साधित्त नहीं है जो विशिष्ट रूप से श्रवण यंत्र के रूप में उपयोगार्थ शरीर पर धारण किये जाते हैं और ऐसे उपकरण, यंत्र और साधित्त के संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान ।
- (3) ध्वनि आलेखन करने वाले उपकरण, यंत्र और साधित्त जैसे डिक्टाफोन, टैपरिकार्डर, कैसेट मशीन और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान जिसके अन्तर्गत रिफाइंग कैसेट और रील टेप भी हैं ।
- (4) अन्य श्रव्य, दृश्य और इलेक्ट्रानिक उपकरण, यंत्र और साधित्त जिसके अन्तर्गत टेलीविजन रिसेविंग सेट, टेलीविजन कैमरा और प्रसारण उपकरण, रिफाई प्लेयर, और चैन्जर चाहे विना स्पीकर के या बिल्ट-इनस्पीकर के सहित, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन रिफाई, रेडियो ग्रामोफोन और दो या अधिक श्रव्य या दृश्य उपकरणों जैसे रेडियो, कैसेट, रिफाई प्लेयर, टेलीविजन और इसी तरह की वस्तुओं के समुच्चय हैं ।
- 75 सभी प्रकार के और सभी वृक्षों के, चाहे वे किसी जाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी जिसके अन्तर्गत बलियाँ और बांस भी हैं, चाहे वह उगाई जा रही हों या काट दी गयी हों या चोरी गयी हों, किन्तु जिसके अन्तर्गत उनके उत्पाद और जलाने की लकड़ी नहीं है ।
- 76 एक्सरे साधित्त और उसके साथ प्रयोग के लिए अपेक्षित फिल्म, प्लेट, और अन्य उपकरण और किसी ऐसे साधित्त या उपकरण का संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान ।”

द्वितीय अनुसूची का निकाला जाना

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1978 की धारा 20 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1979 की धारा 6 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची निकाल दी जायगी ।

20—उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 की धारा 20 में, उपधारा (4) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :—

“(ख) 1 अप्रैल, 1966 से 30 सितम्बर, 1977 तक की अवधि में ऊनी कालीन के सूत के संबंध में विक्रय-धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर दो प्रतिशत की दर से कर देय होगा, और उक्त अवधि में बिना कता ऊनी धागा, जिसे साधारणतया ‘देशी कार्ती’ कहा जाता है, के सम्बन्ध में विक्रय-धन कर से विमुक्त समझा जायगा ।”

21—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, शब्द “एक वर्ष” के स्थान पर शब्द “तीन वर्ष” रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

22—(1) समय-समय पर यथा संशोधित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 2-4949/दस-10, (2)-74, दिनांक 30 मई, 1975 की अनुसूची में, क्रम-संख्या 8 के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि में, शब्द "सूखा सोया" के पश्चात् शब्द "सूखी मेथी, सोंठ, हींग, राई, कलौजी, मखाना, चिरीजी" बड़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

विज्ञप्तियों का संशोधन

(2) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-दो-8499/दस-9(20)-74, दिनांक 1 अक्टूबर, 1975 में, शब्द और अंक "15 नवम्बर, 1975" के स्थान पर शब्द और अंक "28 फरवरी, 1979" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(3) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-दो-5586/दस-9(138)-75-उ0 प्र0 अधि0-15/48; आदेश-77, दिनांक 1 अक्टूबर, 1977 में,—

(क) शब्द और अंक "दिनांक 1 अक्टूबर, 1977 से" के स्थान पर शब्द और अंक "17 नवम्बर, 1975 को प्रारम्भ होने वाली और 6 दिसम्बर, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि में" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे;

(ख) शब्द "परन्तु व्यापारी कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर या कर निर्धारण के लिए अन्तिम सुनवाई के दिनांक तक, जो भी पहले हो" के स्थान पर शब्द "वर्षांत कर निर्धारण के लिए अन्तिम सुनवाई के दिनांक तक" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(4) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-6299/दस-11(17)-78-यू0 पी0 ऐक्ट-15-48-आर्डर-79, दिनांक 7 जुलाई, 1979, दिनांक 15 जुलाई, 1979 को प्रवृत्त समझी जायगी।

(5) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-8224/दस-9(213)-77-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-79, दिनांक 31 अगस्त, 1979 में, उसकी सूची में, क्रम-संख्या 1 के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि में, शब्द "रई के सूत को छोड़ कर" के स्थान पर शब्द "किसी अन्य विज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले सूत को छोड़कर" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(6) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-10856/दस-6(23)-79-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979 में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी रई के सूत के संबंध में जिसे किसी व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी से कर का भुगतान किये बिना 7 दिसम्बर, 1979 के पूर्व क्रय किया गया हो या अन्यथा प्राप्त किया गया हो, विक्रय धन पर ऐसे क्रेता या प्राप्तकर्ता व्यापारी द्वारा विक्री के स्थल पर 2.5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा।"

23—इस अध्यादेश द्वारा संशोधित विज्ञप्तियां तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित मूल अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्हें संशोधित या विखण्डित न किया जाय।

एतद्वारा संशोधित विज्ञप्तियों की विधिमान्यता

24—(1) उत्तर प्रदेश विक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश अथवा उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या विज्ञप्तियों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

ब्राजा से,
गंगा वल्हा सिंह,
सचिव।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 न 1904
0 प्र0 अध्यादेश, संख्या 22, न 1981
0 प्र0 अध्यादेश संख्या 12, न 1981

No. 703I(2)/XVII-V—1-112-1981

Dated Lucknow, February 23, 1982

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bikri Kar (Sanshodhan Aur Vaidhikaran) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 21, 1982.

THE UTTAR PRADESH SALES TAX (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1982

[U. P. ACT NO. 4 OF 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948, and to validate certain acts and proceedings and to provide for matters incidental thereto and connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1982.

(2) Sections 12, 13, 14, 16, 20, 21 and 23 shall be deemed to have come into force on August 3, 1981 clauses (a) and (c) of section 2, sections 3, 4, 6, 7 and 8, clause (c) of section 11, and sections 17, 18 (except the addition of the words "and syrups, squashes, jams and jellies" in the entry against serial no. 63 of the Schedule substituted thereby, which shall come into force at once) and 19 shall be deemed to have come into force on September 7, 1981, clause (b) of section 2, sub-clause (a) of clause (1) and clauses (2) and (3) of section 10, clause (a) of section 11 and section 15 shall be deemed to have come into force on October 1, 1981, and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 3 of U.P. Act XV of 1948.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the words and figures "section 3-AR, section 3-AA" shall be omitted;

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely—

"(2) No dealer shall, except as otherwise provided in section 18, be liable to tax under sub-section (1) if, during the assessment year, the aggregate of his turnover of—

(a) purchases of goods notified under section 3-D,

(b) purchases liable to tax under any other provision of this Act,

(c) sales liable to tax under section 3-D, and

(d) sales of all goods (except those notified under section 3-D), whether such sale is made by the dealer directly or through his branch, depot or agent inside the State, in the course of inter-State, trade or commerce or outside the State,

is less than fifty thousand rupees in the case of manufacturers and one lakh rupees, in the case of other dealers, or such larger amount as the State Government may, by notification, specify in that behalf either in respect of all dealers in any goods or in respect of a particular class of such dealers." ; and

(c) in sub-section (3), in clause (a), the words and figures "or sub-section (2-A)" shall be omitted.

3. For section 3-A of the principal Act, the following substituted, namely—

"3-A. Rates of tax—(1) Except as provided in section 3-D, the tax payable by a dealer under this Act shall be levied,—

Substitution of section 3-A.

(a) on the turnover in respect of 'declared goods', at such single point and at such rate, not exceeding the maximum rate for the time being specified in section 15 of the Central Sales Tax Act, 1956, as the State Government may, by notification, declare ;

(b) on the turnover in respect of any food or drink served for consumption in a hotel or restaurant or part thereof, with which a cabaret or floor show is provided therein, at such rate, not exceeding forty per cent, as the State Government may, by notification, declare ;

(c) on the turnover of spirits and spirituous liquors of all kinds, including methyl alcohol but excluding country liquor and also excluding alcohol, as defined in the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, at the point of sale by the manufacturer or importer at the rate of twenty per cent or at such rate not exceeding twenty-six per cent, as the State Government may, by notification, declare ;

(d) on the turnover in respect of goods specified in the Schedule, at such point and at such rate, not exceeding fifteen per cent, as the State Government may, by notification, declare, and different points and different rates may be declared in respect of different goods comprised in any entry in the said Schedule :

Provided that the State Government may, by notification, omit the entry relating to any goods from the Schedule and may, in the like manner, restore any entry so omitted, and upon the issue of any such notification omitting or restoring any entry, the said Schedule shall, subject to the provisions of sub-section (2), be deemed to be amended accordingly ;

(e) on the turnover in respect of goods, other than those referred to in clauses (a), (b), (c) and (d), at the point of sale by the manufacturer or importer at the rate of eight per cent :

Provided that the State Government may, from time to time, by notification, modify the rate or point of tax on the turnover in respect of any such goods, with effect from such date as may be notified in that behalf, so, however, that the rate does not exceed eight per cent.

(2) Every notification made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of its publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder except that any imposition, assessment, levy or collection of tax or penalty shall be subject to the said modification or annulment."

4. Sections 3-AB and 3-AA of the principal Act, shall be omitted.

5. In section 3-B of the principal Act,—

Omission of sections 3-AB and 3-AA.

Amendment of section 3-B.

(a) for the word "dealer" wherever it occurs, the word, "person", and
 (b) for the words "made with", the words "made with or by" shall be substituted and be deemed to have been substituted on the first day of April, 1974.

Amendment of
section 3-D.

6. In section 3-D of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted
namely :—

“(a) of first purchases of Opium, at such rate not exceeding
twenty-six per cent.”;

(ii) in Explanation I, for the words “under clause (b)”, the words
“under this sub-section” shall be substituted;

(b) in sub-section (2) the words “or, as the case may be, the first
purchaser” shall be omitted; and

(c) in sub-section (7), in clause (a), the words “clause (b) of” shall
be omitted.

Omission of
section 3-F.

Amendment of
section 4-B.

7. Section 3-F of the principal Act, shall be omitted.

8. In section 4-B of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) the figures “3-AA” shall be omitted;

(b) in clause (a), for the words “turnover of purchases or first pur-
chases, as the case may be,” the words “turnover of first purchases” shall
be substituted.

Amendment of
section 7.

9. In section 7 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1-B), for the words “for every month or part thereof”,
the words “per mensem” shall be substituted and be deemed to have been
substituted on the fourth day of December, 1979; and

(b) in sub-section (1-D), after the words “sold”, the words “or
purchased”, and after the word “sale” wherever it occurs, the words
“or purchase” shall be inserted and be deemed to have been inserted
on the first day of November, 1978.

Amendment of
section 8-A.

10. In section 8-A of the principal Act,—

(1) in sub-section (1), in clause (c) and clause (d)—

(a) for the words and figure “Rs.30,000”, the words “fifty thou-
sand rupees in the case of manufacturers and one lakh rupees in the
case of other dealers” shall be substituted; and

(b) the words and figures “or sub-section (3-A) of section 3-D,
as the case may be,” shall be omitted and be deemed to have been
omitted on the first day of November, 1978;

(2) in sub-section (1-B), for the words “Where the dealer has ceased
to carry on business” the words “Where the dealer has ceased to carry on
business or has ceased to be liable for registration” shall be
substituted;

(3) in sub-section (4), in clause (a), for the words “rupees fifty thous-
and”, wherever they occur, the words “fifty thousand rupees in the case
of manufacturers and one lakh rupees in the case of other dealers” shall
be substituted.

Amendment of
section 8-B.

11. In section 8-B of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words “thirty thousand rupees”, the
words “fifty thousand rupees” shall be substituted;

(b) in sub-section (5), the words and figures “sub-section (3-A) of
section 3-D” shall be omitted and be deemed to have been omitted on
the first day of November, 1978; and

(c) in sub-section (6), the words and figure “or section 3-AA” shall be
omitted.

J. P. Act
no. 12 of
1979.
J. P. Act
no. 2 of
1980.

12. In section 10 of the principal Act, as substituted by the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978 read with section 12 of the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1980, in sub-section (1), in the proviso, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—

Amendment of section-10.

“(i-a) where the Tribunal does not consist of a person referred to in clause (i) but consists of one or more persons who are, or have been members of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service, then he or one of them shall be appointed the President;”

13. In section 10-A of the principal Act, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of section-10-A.

“(b) any order or action under section 13 or under sub-section (1) or sub-section (1-A) of section 13-A or under sub-section (6) of section 28-A.”

14. In section 13-B of the principal Act, for the words and figures “section 28-A or section 28-C”, the words and figures “or section 28-A” shall be substituted.

Amendment of section 13-B.

15. In section 18 of the principal Act, in sub-section (1) and sub-section (2), for the words and figures “Rs.30,000”, the words “fifty thousand rupees in the case of manufacturers or one lakh rupees in the case of other dealers” shall be substituted.

Amendment of section 18.

16. In section 21 of the principal Act, for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted and be deemed to have been substituted on the first day of November, 1978, namely:—

Amendment of section 21.

“(2) Except as otherwise provided in this section, no order of assessment or reassessment under any provision of this Act for any assessment year shall be made after the expiration of four years from the end of such year:

Provided that the assessment or reassessment for the assessment years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 may be made by, March 31, 1982.

(3) Where the notice under sub-section (1) for any assessment year has been served within the period specified in sub-section (2), the order of assessment or reassessment in pursuance thereof may be made within six months after the expiration of such period:

Provided that where such notice has been served before April 1, 1978, such order may be made within one year after the expiration of the period of four years referred to in sub-section (2).”

17. In section 25 of the principal Act, the words and figure “or section 3-AA” shall be omitted.

Amendment of section 25.

18. For the First Schedule to the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution of the First Schedule.

“THE SCHEDULE

(See SECTION 3-A).

Serial no.	Description of goods
I	II
1.	All arms, including rifles, revolvers, pistols, <i>Khukhri</i> , <i>Bhala</i> , <i>Chhura</i> and <i>Talwar</i> , and ammunition therefor and components, parts and accessories thereof.
2.	All clocks, time-pieces and watches, electrical time-switches, mechanical timers, time-recorders and stop-watches, and components, parts and accessories thereof including straps and chains of watches.
3.	All electrical goods, instruments, apparatus, appliances and all such articles the use of which cannot be had except with the application of electrical energy, including fans, fluorescent tubes (including their starters, chokes, fixtures, fittings and accessories), electrical earthenware

I

II

- and porcelain, electrical equipments, plants and their accessories required for generation, distribution and transmission of electrical energy, electric motors and parts thereof, and all other accessories and components whether sold as a whole or in parts, but excluding torches, torch-cells, dry cell batteries, torch-bulbs and filament lighting bulbs
4. All goods and wares made of glass, but not including plain glass-panes, optical lenses, hurricane lantern chimneys, bottles and phials, glass-beads, clinical syringes, thermometers and scientific apparatus and instruments made of glass.
 5. All kinds of cosmetics and toilet preparations for beautification or care of the face, skin, hair, nails, eyes or brows, but not including soaps, safety razor blades, hair combs, tooth pastes, tooth powders and other dentifrices, tooth brushes and *humkum*.
 6. All kinds of lubricants.
 7. Articles and wares made wholly or principally of stainless steel, except surgical instruments.
 8. Belting of all kinds.
 9. *Bhang, Ganja and Charas*.
 10. Bicycles, tri-cycles, tandem cycles, rickshaws and cycle-combinations and tyres, tubes, components, parts and accessories thereof.
 11. Binoculars, telescopes and opera glasses and components, parts and accessories thereof.
 12. Bitumen, road tar and such of their compounds and products as are ordinarily used for surface-dressing and water-proofing.
 13. Block Glass.
 14. Bricks, fire-bricks, brick-bats and brick-ballast.
 15. Bull-dozers, cranes and other similar vehicles or machines, and parts and accessories thereof (other than tyres and tubes) not included in any other item of this Schedule.
 16. Buttons.
 17. Card-board and straw-board.
 18. Caustic soda and Soda Ash.
 19. Carpets of all kinds including *namdas*, but excluding cotton carpets and pile durries.
 20. Cement including white cement and high alumina cement, Cement Sheets (plain and corrugated), cement jalties and cement water-proofing compounds.
 21. Chemicals of all kinds including fuel gases.
 22. Cigarette cases and lighters.
 23. Cinematographic equipment including cameras, projectors and sound-recording and reproducing equipments, lenses, films and film-strips and cinema carbons, components, parts and accessories required for use therewith and cinema slides and raw films.
 24. Coffee, cocoa and chicory.
 25. Corn flakes, wheat flakes and custard.
 26. Crockery, cutlery, china-ware, stone-glazed ware and porcelain ware.
 27. Dyes and colours and compositions thereof, including *Ingur* and *Sindoor*, both imitation and real.
 28. Fireworks including coloured matches and other substances used as fireworks.
 29. Fountain pens, ball point pens, stylograph pens and propelling pencils, and components, parts and accessories of such pens and pencils and refills for use therewith.
 30. Furniture other than that specified elsewhere in this Schedule.
 31. *Furs and articles made therefrom*

II

32. Gas lanterns, petromax and stoves, and parts, accessories and components thereof.
33. Glass Bangles.
34. Hard-board including fibre sheets, leather board, plywood and decorative laminates.
35. Hoses of all kinds—rubber, plastic or canvas.
36. Ivory Goods.
37. Kerosene Oil.
38. Machinery and spare parts of machinery, including water pumps and pumping sets, not being such machinery or spare parts thereof as are taxable under any other item of this Schedule.
39. Matches, empty match boxes, match-splints and match veneers.
40. Metal safes, cash boxes and almirahs, all kinds of metal furniture, whether sold in assembled or unassembled form, parts of metal furniture, furniture made from fibre glass, reinforced plastics or made primarily from any kind of plastic, upholstered furniture and furniture in the manufacture of which laminated sheets are used.
41. Mill-stores and hardware, excluding iron or steel wires, but including iron or steel goods not covered by any other item of this Schedule.
42. Molasses.
43. (1) Motor vehicles including motor cars, motor taxi cabs, motor cycles, motor cycle combinations, motor scooters, mopeds, motorettes, motor omni-buses, motor vans, motor lorries, motor trucks, jeeps, station wagons and chassis of motor vehicles and bodies or tankers or motor caravans built or meant for mounting on chassis of motor vehicles, but excluding tractors whether on wheels or on tracts.
(2) Components, parts and accessories of vehicles specified in sub-entry (1) above, including tyres and tubes, batteries and trailers adopted for use along with the said vehicles, other than such trailers as are predominantly used along with any other vehicles.
44. Newsprint.
45. Office machines and apparatuses including tabulating, calculating, duplicating, cash registering, cheque-writing, accounting, statistical, indexing, card-punching, franking and addressing machines, and typewriters, computers (including central processing units and peripheral devices), teleprinters and auxiliary machines, components, parts, spare parts and accessories of such office machines and apparatuses.
46. Paints and varnishes of all kinds and all materials used in painting or varnishing, including distempers, cement colours or paints, powder paints, stiff paste paints, enamels and liquid paints, whether ready for use or not, french polish, vegetable turpentines, paint removers and stainers of all kinds, and all kinds of vehicles, dilutents and thinners (including natural and synthetic drying and semi-drying oils such as double boiled linseed oil, blown linseed oil, stand oil, sulphurised linseed oil, perilla oil, whale oil and tung oil).
47. Palm oil including Palmoline.
48. Pearls including cultured pearls, precious and semi-precious stones, both real and artificial.
49. Perambulators including push chairs for babies, and components, parts and accessories thereof.
50. Photographic and other cameras and enlargers, lenses, papers, films, plates and cloth required for use therewith, and components, parts and accessories thereof.

- | I | II |
|--|----|
| 51. Picnic Sets. | |
| 52. Plastic buckets, plastic basins, plastic soap cases, plastic plates and other wares and containers made of plastic. | |
| 53. Playing Cards. | |
| 54. Polishes of all kinds. | |
| 55. Pressure cookers, other than those worked by electricity. | |
| 56. Pure silk cloth including silk <i>dhoties</i> , <i>sarees</i> and <i>chaddars</i> , other than those manufactured on handloom. | |
| 57. Refrigeration and air-conditioning plants and all kinds of refrigerating appliances and equipments, including refrigerators, deep-freezers, mechanical water-coolers, room coolers, air-conditioners, air-coolers, bottle-coolers, walk-in coolers, and components, parts and accessories thereof and refrigeration materials including polystyrene foam. | |
| 58. Sheets, cushions, pillows, mattresses and other articles made from foam rubber, plastic foam or other synthetic foam or fibre foam or rubberised coir. | |
| 59. Sanitary goods and fittings excluding pipes and their fittings. | |
| 60. Scents and perfumes, excluding <i>agarbattis</i> and <i>dhoop battis</i> . | |
| 61. Sewing machines and parts and accessories thereof. | |
| 62. Soap other than washing soaps. | |
| 63. Sodawater, lemonade and other soft beverages, and syrups, squashes, jams and jellies. | |
| 64. Sun-goggles, spectacles, frames, sun-glasses, optical lenses and attachments. | |
| 65. Tea. | |
| 66. Tendu leaves. | |
| 67. Tiles of all kinds, other than earthen roofing tiles. | |
| 68. Torch cells and dry cell batteries. | |
| 69. Tyres and tubes other than those specified elsewhere in this Schedule. | |
| 70. Vacuum flasks of all kinds, including thermoses, thermic jugs, ice buckets or boxes, urns and other domestic receptacles to keep food or beverages or other articles hot or cold, and components, parts and accessories thereof. | |
| 71. Vanaspati including refined coconut oil, refined groundnut oil and margarine. | |
| 72. Weights and measures made of any metal or alloy. | |
| 73. Welding rods and welding electrodes. | |
| 74. (1) Wireless transmission and reception equipments, instruments and apparatuses, including transistor-radios, other radios, and components, parts and accessories thereof such as transistors and electrical valves. | |
| (2) Sound transmitting equipments, instruments and apparatuses including telephones, inter-com devices and loudspeakers, all amplifying equipments used with audio, video and electronic equipments but excluding sound amplifying and transmitting apparatuses carried on the person and specifically meant for use in hearing aids, and components, parts and accessories of such equipments, instruments and apparatuses. | |

II

(3) Sound-recording equipments, instruments and apparatuses such as dictaphones, tape-recorders, cassette machines, and components, parts and accessories thereof including recording cassette and reel tapes.

(4) Other audio, video and electronic equipments, instruments and appliances including television receiving sets, television cameras and transmitting equipments, record players and changers whether without speakers or with built-in speakers, gramophones, gramophone records, radio-gramophones, and combinations of two or more audio or video equipments such as radios, cassettes, record players, television and the like.

75. Wood and timber of all kinds and of all trees, of whatever species, including ballies and bamboos, whether growing or cut or sawn, but excluding their products and firewood.

76. X-ray apparatus and films, plates and other equipments required for use therewith, and components, parts and accessories of any such apparatus or equipments."

19. The Second Schedule to the principal Act shall be *omitted*.

Omission of the Second Schedule.

20. In section 20 of the Uttar Pradesh Taxation Laws (Amendment and Validation) Act, 1978, in sub-section (4), for clause (b), the following clause shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely :-

Amendment of section 20 of U. P. Act VII of 1978.

"(b) The turnover in respect of woollen carpet yarn shall, during the period from April 1, 1966 to September 30, 1977, be liable to tax at the point of sale by the manufacturer or importer at the rate of two per cent, and the turnover in respect of unspun woollen fibre popularly known as 'Desi Kati' shall, during such period, be deemed to be exempt from the tax."

21. In section 6 of the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1979, in sub-section (1), for the words "one year", the words "three years" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 33 of 1979.

22. (1) In the Schedule to notification no. S.T.-II-4949/X-10(2)-74, dated May 30, 1975, as amended from time to time, in the entry in Column II against serial number 8, after the words "Sukha Soya", the words "sookhi methi, sonth, heeng, rai, kalaunji, makhana, chironji", shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*.

Amendment of Notifications.

(2) In Government notification no. ST-II-8499/X-9(20)-74, dated October 1, 1975, for the word and figures "November 15, 1975", the word and figures "February 28, 1979" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.

(3) In notification no. S.T.-II-5586/X-9(138)-75-U. P. Act XV/48-Order-77, dated October 1, 1977,-

(a) for the words and figures "with effect from October 1, 1977," the words and figures "on sales made during the period commencing on November 17, 1975 and ending with December 6, 1979," and

(b) for the words "within six months of the expiry of the assessment year or up to the date of final hearing for assessment, whichever is earlier," the words "up to the date of final hearing for assessment,"

shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.

(4) Notification no. S.T.-II-6299/X-11(17)-78-U. P. Act XV/48-Order-79, dated July 7, 1979 shall be deemed to have come into force on July 15, 1979.

(5) In notification no. S.T.-II-8224/X-9(213)-77-U. P. Act XV/48-Order-79, dated August 31, 1979, in the List therein, in the entry in Column II against serial no. 1, for the words "except cotton yarn", the words "except those covered by any other notification" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.

(6) In notification no. S.T.-II-10856/X-6 (23)-79-U.P. Act XV-48-Order-79, dated December 7, 1979, the following proviso shall be inserted at the end and be deemed always to have been inserted, namely :

"Provided that the turnover in respect of such cotton yarn as has been purchased or otherwise received by a dealer from another dealer before December 7, 1979 without payment of tax shall be liable to tax at the point of sale by such purchasing or receiving dealer at the rate of 2.5 per cent."

Validity of notifications hereby amended.

23. The notifications amended by this Act, shall continue in force until amended or rescinded by the State Government in exercise of its powers under the relevant section of the principal Act, read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904.

Repeal and savings.

24. (1) The Uttar Pradesh Sales Tax (Second Amendment and Validation) Ordinance, 1981, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act or the notifications, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Ordinance, 1981, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act or the notifications as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Sri C. P. N. SINGH,
Governor,
Uttar Pradesh.